संख्या-12/2016/321/74-2016-04(बैठक)/2014

प्रेषक,

जे0 एल0 यादव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग — लखनऊ:: दिनांक 31 मार्च, 2016

विषय: अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-11-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-810/सेरी0/नियो0/बजट आवंटन/2015-16 दिनांक 17 मार्च, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-11-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में रू0 4319 हजार (रूपया तैतालिस लाख उन्नीस हजार मात्र) के पुनर्विनियोग किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अधीन किया जाएगा एवं व्यय निर्धारित मानक मद में किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार शासन/सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

3- उक्त प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के विभागीय अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-05-कैटालिटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सेरीकल्चर-27-सब्सिडी में सम्भावित बचतों से किया जाएगा तथा उसी अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-11-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना के मद संख्या-43-सामग्री और सम्पूर्ति के नामे डाला जाएगा। पुनर्विनियोग का विवरण निर्धारित प्रारूप-बी0एम0-09 (भाग-1) पर संलग्न है।

संलग्नक::यथोक्त।

भवदीय,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव।

संख्या-12/2016/321(1)/74-2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बी0एम0-09 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 (बी0एम0-09 की तीन प्रतियां सहित)।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 (बी0एम0-09 की तीन प्रतियां सहित)।
(6) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।
(7) कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रेशम निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।